कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ0ग0)

Email:- nraigarh@ymail.com, website:- www.nagarnigamraigarh.com

नगर पालिक निगम कार्यालय, रायगढ़(छ0ग0) फोन नं.:-07762-222911,

क्र. 181/नपानि/2024/NULM रायगढ़ दिनांक 15/10/2024

"गढ़कलेवा" (छत्तीसगढ़ी व्यंजन विक्रय केन्द्र) संचालन हेतु नियम एवं शर्ते

01. **नगर पालिक निगम रायगढ़** द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) तहत् विज्ञापित कार्य के लिए ई.ओ.आई. में भाग लेने हेतु निकाय क्षेत्रांतर्गत इच्छुक पंजीकृत महिला स्वसहायता समूह स्वयं के लेटरहेड पर आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। गढ़कलेवा संचालन हेतु भवन का प्रतिवर्ष का शुल्क लिया जावेगा।

02. विज्ञापित कार्य हेतु ई.ओ.आई. प्रस्ताव त्रि-स्तरीय लिफाफा पद्धति से होगा, जिसमें मुख्य लिफाफा के अंदर दो लिफाफा में आवश्यक दस्तावेजो सहित स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही निर्धारित तिथि/समयावधि में जमा करना होगा। अन्य रीति से एवं निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त ई.ओ.आई./प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा।

(I) प्रथम लिफाफे में निर्धारित अमानत राशि 5,000.00 रू. (पॉच हजार रू. मात्र) का एफ.डी.आर., जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़ को देय हो।

(II) द्वितीय लिफाफे में समूह का ओरिजनल लेटर हेड के साथ समूह का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र, पदाधिकारियों का आधार कार्ड की छायाप्रति, पिछले वित्तीय वर्ष की जानकारी, समूह प्रस्ताव, पेन कार्ड तथा यदि उपलब्ध हो तो आयकर रिटर्न एवं जीएसटी पंजीयन संलग्न करना होगा।

03 प्रत्येक लिफाफा के उप्पर शीर्षक का स्पष्ट उल्लेख करना होगा एवं ई.ओ.आई. खोलने की कार्यवाही के दौरान सर्वप्रथम अमानत राशि (FDR) जमा वाला लिफाफा खोला जायेगा, निर्धारित अमानत राशि जमा तथा उपयुक्त पाये जाने के उपरांत मूल दस्तावेज जमा वाला लिफाफा खोला जायेगा। निर्धारित अमानत राशि में कमी या उपलब्ध नही होने की स्थिति में मूल दस्तावेज वाला द्वितीय लिफाफा नहीं खोला जायेगा तथा संबंधित प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रस्तुत ई.ओ.आई. निरस्त माना जायेगा।

04 महिला स्व सहायता समूह के चयन का आधार हेतु निर्धारित प्रपत्र के लिए निम्नानुसार मुख्य बिन्दु होगें :-

- महिला स्व सहायता समूह के पंजीयन दिनांक की अवधि के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।
- महिला स्व सहायता समूह में अधिकतम सदस्य संख्या के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।
- महिला स्व सहायता समूह के द्वारा पंचसूत्र का पूर्ण रूप से पालन करने वाले समूह को प्राथमिकता दी जावेगी।
- महिला स्व सहायता समूह के द्वारा आवश्यक संधारित रजिस्टर, बैंक पासबुक एवं अन्य दस्तावेज ,आवेदित दिनांक तक अपडेट के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।
- महिला स्व सहायता समूह कों शासकीय संस्था/विभाग में व्यवसाय संचालन के कार्य का अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।
- महिला स्व सहायता समूह के लिए उक्त बिन्दुओं के आधार पर चयन हेतु ग्रेडिंग प्रपत्र क्र. 01 निर्धारण किया गया है, उक्त प्रपत्र में अधिकत्तम अंक वाले समूह का चयन किया जावेगा। **(प्रपत्र संलग्न है।)**

05. कार्य की अवधि अनुबंध/कार्यादेश दिनांक से 03 वर्ष के लिए रहेगी। एवं कार्य संतोषजनक पाये जाने पर कार्य की अवधि अनुबंध के शर्तो के आधार पर पुनः आवश्कतानुसार वृद्धि की जा सकती है। चयनित स्व सहायता समूहे कि आवेदन के आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता/आयुक्त नगर पलिक निगम के द्वारा यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

06. रायगढ़ निकाय क्षेत्रांतर्गत पंजीकृत चयनित महिला स्व सहायता समूह के द्वारा स्वयं के व्यय पर गढ़कलेवा का होर्डिंग बोर्ड, बर्तन सामाग्री, फर्नीचर एवं व्यंजन बनाने हेतु आवश्यक सामाग्री, गैस सिलेंडर आदि की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी।

07. चयनित महिला स्व सहायता समूह को निगम से गुमास्ता या अन्य संबंधित विभाग से खाद्य पदार्थ विक्रय का लाईसेंस लेना होना जिसकों चयन पश्चात् गढ़कलेवा संचालन हेतु दस्तावेज रखना आवश्यक होगा।

08. स्थापित किये जाने वाले गढ़कलेवा (छत्तीसगढ़ी व्यंजन विक्रय केन्द्र) संचालन हेतु भवन का किराया तथा विद्युत देयक, जल कर, यूजर चार्ज का भुगतान चयनित महिला स्व सहायता समूह के द्वारा स्वयं के व्यय से किया जावेगा। समूह के द्वारा गढ़कलेवा के संचालन में जो भी आय प्राप्त होगी, वह स्वयं की होगी।

09. एसबीएम 2016 के अनुसार संचालन के दौरान एसयूपी (सिंगल यूज प्लास्टिक) प्रतिबंधित होगा। एवं डस्टबीन का उपयोग करना होगा। तथा उक्त स्थल में साफ–सफाई एवं रख–रखाव सुचारू रूप से नही किये जाने की स्थिति में निकाय द्वारा जुर्माना अधिरोपित की जावेगी अथवा अनुबंध निरस्त किया जावेगा तथा चयनित महिला स्व सहायता समूह द्वारा जमा अमानत राशि राजसात किया जावेगा।

10. सशर्त ई.ओ.आई. प्रस्ताव स्वीकार नहीं की जावेगी।

11. ई.ओ.आई. प्रस्ताव/स्वीकृति हेतु अधिकृत पदाधिकारी का किसी भी ई.ओ.आई./प्राप्त प्रस्ताव को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार निकाय को होगा।

12. प्राप्त ई.ओ.आई. खोलने, लिस्टिंग किये जाने के उपरांत सफल प्रस्तावकर्ता समूह की जमा अमानत राशि/एफ.डी.आर. को छोड़कर शेष प्रस्तावकर्ता समूह की जमा अमानत राशि/एफ.डी.आर. वापस/रिलीज कर दी जायेगी। सफल प्रस्तावकर्ता की जमा अमानत राशि/एफ.डी.आर. संतोषप्रद ढ़ग से कार्य सम्पादन/अनुबंध की अवधि समाप्ति उपरांत नियमानुसार वापसी योग्य होगी।

13. प्राप्त अधिकतम प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत सफल प्रस्तावकर्ता समूह को कार्यालयीन सूचना अनुसार निर्धारित समयावधि 03 दिवस के भीतर कार्य के लिए 100.00 रू. के नॉनज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर में अनिवार्य रूप से अनुबंध निष्पादन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि में अनुबंध नही करने की स्थिति में द्वितीय क्रम में चयनित महिला स्व सहायता समूह से अनुंबंध किया जावेगा।

14. सफल प्रस्तावकर्ता समूह के द्वारा अनुबंध के पश्चात् कार्य सम्पादन नही करने की स्थिति में जमा अमानत राशि का एफ.डी.आर. राजसात की जावेगी।

15. अनुबंध निष्पादन उपरांत सफल प्रस्तावकर्ता समूह को कार्यालयीन सूचना अनुसार कार्यादेश जारी किये जाने पर निर्धारित समयावधि 07 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रभारी इंजीनियर के दिशा–निर्देशों के अनुसार रख–रखाव/संचालन का कार्य सम्पादन करेंगें।

16. अनुबंध समाप्ति के पश्चात् सफल प्रस्तावकर्ता समूह को संचालन हेतु दिये गए भवन जिस स्थिति में दी जावेगी उसी स्थिति में रखरखाव करते हुए वापस किया जाना होगा। कार्य में किसी भी प्रकार की नुकसानी एवं जान–माल के क्षति का दायित्व निगम का नहीं होगा।

17. सफल प्रस्तावकर्ता समूह के द्वारा संचालन हेतु उपलब्ध भवन में अन्य सुविधा हेतु आवश्यक कार्य स्वयं के व्यय पर करना होगा तथा भवन का मरम्मत स्वयं के व्यय पर कराना अनिवार्य होगा। भवन की क्षति–पूर्ति अमानत राशि से नही किया जावेगा। एवं क्षति–पूर्ति की राशि वापसी योग्य नही होगा।

18. सफल प्रस्तावकर्ता समूह किसी भी हाल में अन्य समूह को गढ़कलेवा के संचालन हेतु हस्तांतरित नही करेगा। अन्यथा अनुबंध निरस्त किया जावेगा एवं जमा अमानत राशि का एफ.डी.आर. राजसात की जावेगी।

19. निकाय के द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

20. सफल प्रस्तावकर्ता समूह को उपरोक्त निर्धारित समस्त शर्तो का पालन करना होगा। शर्तो के उल्लघंन, कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

15.10.24

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

प्रपत्र क्र. 01

"गढ़कलेवा" (छत्तीसगढ़ी व्यंजन विक्रय केन्द्र) संचालन हेतु आकलन प्रपत्र

क्र.	जॉच के बिन्दु	मापदंड	अधिकतम अंक	प्राप्तांक
1	समूहो की संख्या	10	1	
		10 से अधिक	2	
2	समूह की रचना मे एकरूपता	एक समान आर्थिक स्तर	2	
		आर्थिक स्तर मे विभिन्नता	1	
3	पड़ोस के निवासी	सदस्य एक ही बस्ती मे रहते हैं।	2	
		अलग–अलग बस्ती में रहते है।	1	
4	समूह की बैठक	सप्ताह मे एक बार	3	
		महीने मे एक बार	1	
5	समूह की बैठक मे आवश्यक उपस्थिति	90 प्रतिशत से अधिक	3	
		75 प्रतिशत या अधिक और 89 प्रतिशत तक	2	
		60 प्रतिशत या अधिक और 74 प्रतिशत तक	1	
6	बचत (समूहों के द्वारा नियमित बचत का प्रतिशत)	90 प्रतिशत से अधिक	3	
		75 प्रतिशत या अधिक और 89 प्रतिशत तक	2	
		60 प्रतिशत या अधिक और 74 प्रतिशत तक	1	
7	आपसी लेन देन	सूमहों के बीच आपसी लेन देन हो रहा है।	2	
8	आपसी लेन देन की वापसी	90 प्रतिशत से अधिक	2	
		70 प्रतिशत या अधिक और 89 प्रतिशत तक	1	
9	बही खाता का रखरखाव	बही खाता का रखरखाव अद्यतन	2	
		बही खाता का रखरखाव संतोषप्रद है तथा बैठक का ब्योरा लिखना बाकी नही है।	1	
10	व्यवसाय का अनुभव	समूह के सभी सदस्यों को व्यवसाय किये जाने का अनुभव	3	
		समूह के 05 से अधिक सदस्यों को व्यवसाय किये जाने का अनुभव	2	
11	व्यवसाय स्थल हेतु एक वर्ष हेतु किराया राशि	प्राप्त आवेदनों में प्रथम अधिक राशि	3	
		प्राप्त आवेदनों में द्वितीय अधिक राशि	2	
12	छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाने का अनुभव	अनुभव होने पर	3	
		अनुभव नही होने पर	0	
		अधिकतम अंक	**30**	

15.10.24

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)